प्रकीर्ण वाद संख्या २१८/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २३६/२०१७)
अवोध आदि बनाम राकेश कुमार आदि
३०.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण अवोध, व कु. प्रिन्सी, मोहित, कु. अंजनी व कु. अंचल अवयस्कगण द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा लोक अदालत में पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि जमा कर दी गयी है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थीगण ने याचना की है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार उन्हें धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी अवोध का शपथपत्र, अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. २३६/२०१८ अबोध आदि बनाम राकेश कुमार आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अवोध ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को ई लोक अदालत में सुलहनामा के आधार पर ₹ ७,५०,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण को बराबर-बराबर भाग में प्राप्त होनी है। याची सं. १ को अपने भाग की धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अपने खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा याची सं. २ लगायत ७ अवयस्कगण की धनराशि उनकी वयस्कता तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा में जमा की जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक १५३ पर ₹ ७,५०,०० पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में UTR No. AXISP00160890801 द्वारा जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थी ने अपने बैंक खाते की पास बुक व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं। मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २३६/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं.२१८/२०२० अबोध आदि बनाम राकेश कुमार आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Avodh	150000	20	Elect. Mode RTGS/ NEFT	92352010010910	Syndicate Bank Govind Churaha Jhansi	SYNB0009 235
2. Kum. Princi (Minor)	150000	20	FD Up to Her Majority through Natural Guardian/ Father Avodh	___	Any Nationalize d Bank	____
3. Kum. Anchal (Minor)	150000	20	FD Up to Her Majority through Natural Guardian/ Father Avodh	___	Any Nationalize d Bank	____
4. Kum. Anjani (Minor)	150000	20	FD Up to Her Majority through Natural Guardian/ Father Avodh	___	Any Nationalize d Bank	____
5. Mohit (Minor)	150000	20	FD Up to Her Majority through Natural Guardian/ Father Avodh	___	Any Nationalize d Bank	____
Total	750000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.30 09:08:54 IST
Reason: PO
Location: MACT Jhansi